प्रेस विज्ञप्ति
27.03.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मैंगलोर उप आंचलिक कार्यालय ने कर्नाटक के उडुपी जिले में विभिन्न मछुआरा स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) द्वारा लिए गए ऋणों के संबंध में धोखाधड़ी से ऋण माफी प्राप्त करने के मामले में 27.03.2026 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), मैंगलोर में मेसर्स मूकाम्बिका ग्रामीण विकास ट्रस्ट, श्रीमती बेबी, श्री हरीश, पी. रामदास और रामकृष्ण पी. के खिलाफ अभियोजन शिकायत दायर की है।

ईडी ने उडुपी के बायंदूर पुलिस स्टेशन द्वारा श्रीमती बेबी कोटारी, हरीश खारवी, रामदासा खारवी और रामकृष्ण देवदिगा के खिलाफ दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें उन पर कर्नाटक सरकार द्वारा शुरू की गई ऋण माफी योजना का उपयोग करके अपात्र मछुआरा स्वयं सहायता समूहों के ऋण माफ करने का आरोप लगाया गया था।

ईडी की जांच में पता चला कि मुख्य आरोपी श्रीमती बेबी, हरीश और पी रामदास ने वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान, मूकाम्बिका ग्रामीण विकास ट्रस्ट के माध्यम से, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से विभिन्न स्वयं सहायता समूहों के लिए ऋण की व्यवस्था की थी और ऋण की किस्तें एकत्र करके बैंक को वापस जमा करके उन्हें ऋण चुकाने में सहायता भी की थी। हालांकि, उन्होंने स्वयं सहायता समूहों द्वारा दी गई पूरी राशि जमा नहीं की और किस्तों की राशि का कुछ हिस्सा हड़प लिया और उसका उपयोग अज्ञात उद्देश्यों के लिए किया, जिससे स्वयं सहायता समूहों को धोखा दिया गया।

स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के साथ हुई धोखाधड़ी को छिपाने के लिए, मुख्य आरोपियों ने यूबीआई बैंक के प्रबंधक रामकृष्ण पी. के साथ मिलीभगत करके, कर्नाटक सरकार द्वारा मछुआरों के एसएचजी के लिए शुरू की गई ऋण माफी योजना के तहत, उचित दस्तावेज़ों के बिना, 58 अपात्र एसएचजी को मछुआरे एसएचजी बताकर उनके लिए ऋण माफी हेतु आवेदन किया। इस प्रक्रिया में, आरोपियों ने 1.66 करोड़ रुपये की अपराधिक आय अर्जित की और उस धनराशि के एक हिस्से का उपयोग अपात्र एसएचजी के ऋण चुकाने के लिए किया, जबकि शेष धनराशि को अज्ञात उद्देश्यों के लिए निकाल लिया।

अभियुक्तों के विरुद्ध धन शोधन के अपराध के लिए अभियोजन शिकायत दायर किया गया है, जो पीएमएलए, 2002 की धारा 3 के अंतर्गत परिभाषित और धारा 4 के अंतर्गत दंडनीय है।

आगे की जांच जारी है।